1/3/2024

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि अप्रार्थीगणों की तलबी बाबत जारी नोटिस जरिये Reg AD अप्रार्थी सं. 1, 2, 6, 13 व 14 मे तामिल शुदा प्राप्त हुयी। जबकि अप्रार्थीगण सं. 7 लगा. 12 को जारी नोटिस "लेने से मना किया" टिप्पणी के साथ प्राप्त हुये। अतः अप्रार्थी सं. 7 लगा. 12 की तलबी पूर्ण मानी जाती है। अप्रार्थी सं. 6 व 9 स्वयं उपस्थित है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित कथनों को दोहराते हुये। प्रार्थना पत्र O 9 R 9 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

K.

तारीख
हुक्म

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अवकाश ... में उपस्थित होने से वादी अधिवक्ता दिनांक ... को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। वादी का मामला हाजरी अदम पैरवी में खारिज होने के आदेश की जानकारी मिलने ही केवल 2 कार्यदिवस में ही पत्रावली पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो कि अन्दर मियाद है। यदि पत्रावली को रिस्टोर नहीं किया गया तो वादी के साथ अन्याय होगा तथा वह अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित रह जायेगा। अतः अदम हाजरी अदम पैरवी के उक्त आदेश को अपास्त किया जाकर दावे को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा रिस्टोर कर पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अनावश्यक विलम्ब किये बिना दायर किया गया। वाद की बहुलता को रोकने तथा विवाद हल करने के उद्देश्य से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्राकृतिक न्याय को देखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाकर पेश हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 1/3/2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)